राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन

उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन –0141–2706069 rajssa.training@gmail.com

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प. / जय / प्रशिक्षण / 2019–20 / 5354 दिनांक 2/9/19

लीडरशिप एवं विषय आधारित (व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक स्तरीय) प्रशिक्षण दिशा–निर्देश : 2019–20

विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास विद्यालयी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है एवं इस लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति हेतु विद्यालयों में संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि सीखना–सिखाना एक सतत् प्रक्रिया है, इसलिये शिक्षक भी अपने शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों एवं विद्यालय में अपने साथियों से सीखता है। अतः विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता को केंद्रित करते हुए संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों को पारस्परिक अधिगम के साथ–साथ शैक्षिक नवाचारों एवं बेस्ट प्रेक्टिसेज का आदान–प्रदान करने व व्यावसायिक योग्यता में निरंतर कुशलता व अभिवृद्धि करने का अवसर प्राप्त होता है।

इसी क्रम में विगत वर्षों से संचालित माध्यमिक शिक्षा से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षणों की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है (समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना 2019–20 में प्रशिक्षण संबंधी अनुमोदित गतिविधियों के संदर्भ में) –

1. प्रशिक्षण के उद्देश्य

शिक्षक प्रशिक्षण	लीडरशिप प्रशिक्षण
• विषय संबंधी कठिन अवधारणाओं की स्पष्टता एवं समझ विकसित करना। • पाठ्यसामग्री को सरल व क्रमिक चरणों के साथ प्रस्तुतीकरण करने में सक्षम करना। • शिक्षण मे नवीन तकनीक यथा आईसीटी के उपयोग का कौशल विकसित करना। • विभिन्न स्त्रोतों से संदर्भित ज्ञान को संकलित करने के तरीके सीखना। • सृजनात्मक, संप्रेषण एवं सहभागिता कौशल विकसित करना। • कक्षा–कक्षीय गतिविधियों को नियोजित बनाने में सक्षम करना। • नवाचारों एवं नवीन शिक्षण विधाओं को आत्मसात करना। • सामाजिक संदर्भो में शिक्षक का दायित्व समझना। • प्रश्न निर्माण, शिक्षण सामग्री, योजना निर्माण आदि व्यावसायिक कुशलता विकसित करना। • पारस्परिक अनुभवों से ज्ञान एवं समझ संवर्द्धन करना। • विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की भूमिका को जानना।	• संस्थाप्रधानों के ज्ञान, कौशल एवं समझ को विकसित करना। • सूचना एवं प्रोद्यौगिकी के वर्तमान दौर में प्रभावी तरीके से नेतृत्व क्षमता विकसित करना। • यह सुनिश्चित करना कि उनकी संस्था में सीखने (Learning) के पर्याप्त अवसर है। • संस्था प्रधानों को अपने विद्यालय में परिवर्तन व पुनरावलोकन की बारीक दृष्टि प्रदान करना। • संस्थाप्रधान द्वारा समय प्रबंधन (Time Management) के माध्यम से विद्यालय में नवाचारों हेतु अवसर प्रदान करना। • समूह भावना (Team spirit) के माध्यम से विद्यालय के हित में मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। • समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित कर विद्यालयी कार्यो में उनका सहयोग लेना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2019–20 पी.ए.बी. अनुमोदन के अनुसार **समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (समग्र शिक्षा अभियान), जयपुर, एससीईआरटी, उदयपुर तथा लीडरशिप प्रशिक्षण सीमेट, गोनेर जयपुर द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।**

2. विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु मुख्य सन्दर्भ व्यक्तियों के चयन हेतु मापदण्ड –

- मुख्य सन्दर्भ व्यक्तियों को कक्षा–कक्षीय प्रक्रियाओं, पैडागॉजी, शिक्षण विधा आदि में दक्ष होना चाहिए।
- प्रोबेशन पीरियड वाले तथा किसी भी प्रकार की विभागीय जांच लम्बित होने पर उन्हें मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में चयनित नहीं किया जावे।
- प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु अलग–अलग मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का चयन किया जावे।
- आईसीटी के जानकार एवं नवाचारी शिक्षकों का प्राथमिकता से चयन किया जावे।
- सन्दर्भ व्यक्ति राजकीय संस्थान में कार्यरत हों/सेवानिवृत हों।

प्रशिक्षण	मुख्य संदर्भ व्यक्ति हेतु मापदण्ड
वरिष्ठ अध्यापक प्रशिक्षण (कक्षा 9–10)	• प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (मावि)/व्याख्याता जिन्हें संबंधित विषय में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। • 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा 2 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अध्यापक। • सेवानिवृत्त व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक जिन्हें प्रशिक्षण देने का 2 वर्ष का अनुभव हो।
व्याख्याता (कक्षा 11–12)	• प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक (मावि) जिन्हें संबंधित विषय में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। • व्याख्याता जिन्हें सम्बंधित विषय में पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा 2 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव हो। • सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक (मावि)/व्याख्याता जिन्हें 2 वर्ष प्रशिक्षण देने का अनुभव हो।
संस्थाप्रधान लीडरशिप प्रशिक्षण (कक्षा 9–12	• प्रधानाचार्य या समकक्ष। • पूर्व में लीडरशिप प्रशिक्षित प्रधानाचार्यो को प्राथमिकता दी जावे। • आईएएसई तथा डाईट के वरिष्ठ व्याख्याता/ व्याख्याता। • सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जिन्हें लीड़रशिप प्रशिक्षण देने का 2 वर्ष का अनुभव हो।

नोट :– मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के चयन हेतु समग्र शिक्षा, डाईट कार्यालय से समन्वयन कर पूर्व प्रशिक्षणों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशिक्षकों के नाम प्राप्त किये जा सकते है।

3. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के व्यय मानक

3.1	जिला/संभाग स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण (ICT,IED विषय आधारित)				
	व्यय मानक (50 संभागियों हेतु 02 दिवसीय शिविर) हेतु 400 रू. प्रति शिक्षक प्रति दिवस				
क्र.सं.	व्यय मानक	राशि	दिवस	संभागी	कुल राशि
1.	भोजन, नाश्ता, पेयजल	150	2	53	15900
2.	आयोजन स्थल एवं बैठक व्यवस्था	50	2	53	5300
3.	पेन डायरी,टीएलएम एवं स्टेशनरी आदि	40	-	50	2000
4.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय तैयारी बैठक	300	1	3	900
5.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय	500	2	3	3000
6.	शिविर प्रभारी मानदेय (प्रति शिविर)	400	2	-	800
7.	कूलर, पंखे, माइक, बिजली ,प्रोजेक्टर, जनरेटर, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, साफ–सफाई आदि	900	2	-	1800
8.	संभागियों का मानदेय*	200	-	50	10000
9.	विविध	-	-	-	300
	कुल व्यय				**40000**

* प्रशिक्षण मद में बचत राशि होने की स्थिति में सभी संभागियों को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा अन्यथा उनके स्वयं के विद्यालय से देय होगा। संभागी शिक्षकों को नियमानुसार 1/4 डी.ए. का भुगतान शिक्षकों के संबंधित विद्यालय से देय होगा।

3.2 जिला/संभाग स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण (वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता स्तरीय विषय आधारित प्रशिक्षण)

व्यय मानक :– (50 संभागियों हेतु 05 दिवसीय शिविर) हेतु 400 रू. प्रति शिक्षक प्रति दिवस

क्र.सं.	व्यय मानक	राशि	दिवस	संभागी	कुल राशि
1.	भोजन, नाश्ता, पेयजल	175	5	53	46375
2.	आयोजन स्थल एवं बैठक व्यवस्था	75	5	53	19875
3.	पेन डायरी,टीएलएम एवं स्टेशनरी आदि	50	-	50	2500
4.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय तैयारी बैठक	400	1	3	1200
5.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय	700	5	3	10500
6.	शिविर प्रभारी मानदेय (प्रति शिविर)	600	5	-	3000
7.	कूलर, पंखे, माइक, बिजली ,प्रोजेक्टर, जनरेटर, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, साफ–सफाई आदि	1200	5	-	6000
8.	संभागियों का मानदेय*	200	-	50	10000
9.	विविध	-	-	-	550
	कुल व्यय				**100000**

* प्रशिक्षण मद में बचत राशि होने की स्थिति में सभी संभागियों को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा अन्यथा उनके स्वयं के विद्यालय से देय होगा। संभागी शिक्षकों को नियमानुसार 1/4 डी.ए. का भुगतान शिक्षकों के संबंधित विद्यालय से देय होगा।

3.3 राज्य स्तरीय मुख्य संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण (ICT,IED विषय आधारित)

व्यय मानक :– (50 संभागियों हेतु 02 दिवसीय शिविर) हेतु 500 रू. प्रति शिक्षक प्रति दिवस

क्र.सं.	व्यय मानक	राशि	दिवस	संभागी	कुल राशि
1.	भोजन, नाश्ता, पेयजल	175	2	53	18550
2.	आयोजन स्थल एवं बैठक व्यवस्था	75	2	53	7950
3.	पेन डायरी,टीएलएम एवं स्टेशनरी आदि	50	-	50	2500
4.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय तैयारी बैठक	400	1	3	1200
5.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय	800	2	3	4800
6.	कूलर, पंखे, माइक, बिजली ,प्रोजेक्टर, जनरेटर, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, साफ–सफाई आदि	1000	2	-	2000
7.	संभागियों का मानदेय*	250	-	50	12500
8.	विविध	-	-	-	500
	कुल व्यय				**50000**

* प्रशिक्षण मद में बचत राशि होने की स्थिति में सभी संभागियों को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा अन्यथा उनके स्वयं के विद्यालय से देय होगा। संभागी शिक्षकों को नियमानुसार 1/4 डी.ए. का भुगतान शिक्षकों के संबंधित विद्यालय से देय होगा।

3.4 राज्य स्तरीय मुख्य संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण (विषय आधारित वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता स्तरीय)

व्यय मानक :– (50 संभागियों हेतु 05 दिवसीय आवासीय शिविर) हेतु 500 रू. प्रति शिक्षक प्रति दिवस

क्र.सं.	व्यय मानक	राशि	दिवस	संभागी	कुल राशि
1.	भोजन, नाश्ता, पेयजल	180	5	53	47700
2.	आयोजन स्थल एवं बैठक व्यवस्था	80	5	53	21200
3.	पेन डायरी,टीएलएम एवं स्टेशनरी आदि	60	-	50	3000
4.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय तैयारी बैठक	500	1	3	1500
5.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय	1000	5	3	15000
6.	कूलर, पंखे, माइक, बिजली ,प्रोजेक्टर, जनरेटर, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, साफ–सफाई आदि	1200	5	-	6000
7.	संभागियों का मानदेय*	600	-	50	30000
8.	विविध	-	-	-	600
	कुल व्यय				**125000**

* प्रशिक्षण मद में बचत राशि होने की स्थिति में सभी संभागियों को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा अन्यथा उनके स्वयं के विद्यालय से देय होगा। संभागी शिक्षकों को नियमानुसार 1/4 डी.ए. का भुगतान शिक्षकों के संबंधित विद्यालय से देय होगा।

3.5	संभाग/राज्य स्तरीय लीडरशिप प्रशिक्षण				
व्यय मानक :– (50 संभागियों हेतु 16 दिवसीय आवासीय शिविर) हेतु 300 रू. प्रति संभागी प्रति दिवस					
क्र.सं.	व्यय मानक	राशि	दिवस	संभागी	कुल राशि
1.	भोजन, नाश्ता, पेयजल	150	16	53	127200
2.	आवास एवं बैठक व्यवस्था	50	16	53	42400
3.	पेन डायरी,टीएलएम एवं स्टेशनरी आदि	70	-	53	3710
4.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय (तैयारी बैठक)	400	1	3	1200
5.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय	600	16	3	28800
6.	कूलर, पंखे, माइक, बिजली आदि प्रोजेक्टर, जनरेटर, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, साफ–सफाई आदि	600	16	-	9600
7.	संभागियों का मानदेय	500	-	53	26500
8.	विविध	-	-	-	590
	कुल व्यय				**240000**

* प्रशिक्षण मद में बचत राशि होने की स्थिति में सभी संभागियों को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा अन्यथा उनके स्वयं के विद्यालय से देय होगा। संभागी शिक्षकों को नियमानुसार 1/4 डी.ए. का भुगतान शिक्षकों के संबंधित विद्यालय से देय होगा।

3.6	संभाग/राज्य स्तरीय संदर्भ व्यक्ति लीडरशिप प्रशिक्षण				
व्यय मानक :– (50 संभागियों हेतु 10 दिवसीय आवासीय शिविर) हेतु 500 रू. प्रति शिक्षक प्रति दिवस					
क्र.सं.	व्यय मानक	राशि	दिवस	संभागी	कुल राशि
1.	भोजन, नाश्ता, पेयजल	180	10	53	95400
2.	आवास एवं बैठक व्यवस्था	70	10	53	37100
3.	पेन डायरी,टीएलएम एवं स्टेशनरी आदि	70	-	53	3710
4.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय (तैयारी बैठक)	500	1	3	1500
5.	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय	1000	10	3	30000
6.	कूलर, पंखे, माइक, बिजली आदि प्रोजेक्टर, जनरेटर, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, साफ–सफाई आदि	1000	10	-	10000
7.	संभागियों का मानदेय	1350	-	53	71550
8.	विविध	-	-	-	740
	कुल व्यय				**250000**

* प्रशिक्षण मद में बचत राशि होने की स्थिति में सभी संभागियों को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा अन्यथा उनके स्वयं के विद्यालय से देय होगा। संभागी शिक्षकों को नियमानुसार 1/4 डी.ए. का भुगतान शिक्षकों के संबंधित विद्यालय से देय होगा।

- उपरोक्त सारणियों के उपमदों में राशि आवंटन में आंशिक परिवर्तन (Re-appropriation) स्थानीय आवश्यकतानुसार जिला/राज्य स्तरीय समिति की अनुशंषा से किया जा सकता है,किन्तु कुल व्यय, दी गई बजट सीमा से अधिक न हो।
- बजट उपलब्धता की स्थिति में प्रशिक्षण में किसी विशेषज्ञ द्वारा वार्ता दिये जाने पर एक सत्र हेतु अधिकतम 500/– रूपये का मानदेय देय होगा।
- CTE/IASE/DIET संस्थान द्वारा PAB अंतर्गत अनुमोदित प्रशिक्षण SMSA/SCERT/SIEMAT द्वारा निर्देशित किये जाने पर निर्धारित बजट मापदण्ड में आयोजित कराये जाएंगे। इन संस्थानों में नियुक्त शिविर प्रभारी को मानदेय राशि देय नहीं होगी।

नोट :– विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु बजट मानदण्ड अलग हैं तथा बजट मानदण्ड प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं। अतः ध्यान रहें – प्रशिक्षणों के उपयोगिता प्रमाण पत्र **भौतिक उपलब्धि x इकाई लागत x कुल प्रशिक्षण दिवस** के अनुसार ही स्वीकृत किए जाएंगे।

4. मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण –

4.1 सामान्य निर्देश

- **आई.ई.डी/आई.टी. संबंधी मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ एवं आई.सी.टी. सैल के निर्देशानुसार किया जाएगा। अन्य प्रशिक्षणों हेतु मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण एससीईआरटी, उदयपुर द्वारा तथा लीडरशिप प्रशिक्षणों हेतु मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (SRG) का प्रशिक्षण सीमेट, गोनेर द्वारा किया जायेगा।**
- केआरपी चयन के मापदण्डों के अनुसार केआरपी का चयन विषयवार एवं प्रशिक्षण की आवश्यकतानुसार संबंधित जिले के DPC, ADPC समग्र शिक्षा अभियान एवं डाईट के द्वारा किया जाकर सूची डाइट के माध्यम से एससीईआरटी, उदयपुर को भिजवाई जावेगी।
- वरिष्ठ अध्यापकों के प्रशिक्षणों में सीटीई का तथा व्याख्याता प्रशिक्षणों में IASE का सहयोग लिया जावे।
- आई.ई.डी./आई.सी.टी. प्रशिक्षणों के मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के विषयवार प्रशिक्षण 2 दिवसीय वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता विषय आधारित प्रशिक्षण 5 दिवसीय तथा लीडरशिप प्रशिक्षणों के मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण 10 दिवसीय आवासीय होगा।
- एसआरजी/मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित कार्मिकों को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

4.2 वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता प्रशिक्षणों हेतु मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण

- मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के इस सत्र के निर्देशानुसार जिलों के समसा, कार्यालय एवं डाईट के माध्यम से किया जाकर उनकी सूची प्राप्त की जावे। वरिष्ठ अध्यापक प्रशिक्षणों हेतु पूर्व में चयनित मुख्य संदर्भ व्यक्तियों की सूची परिषद कार्यालय से प्राप्त की जावे।
- प्रशिक्षणों के अनुसार पर्याप्त संख्या में मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण एससीईआरटी, उदयपुर द्वारा सीटीई/डाईट/जिलों में कराया जायेगा।

4.3 लीडरशिप प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण –

- लीडरशिप प्रशिक्षणों की संख्या के अनुसार सीमेट, गोनेर द्वारा मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (SRG) का चयन कर इनका 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रावधान सारणी 3. 6 के अनुसार रहेगें।

5. वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता प्रशिक्षण

- **आईडी/आई.सी.टी आधारित 2 दिवसीय शिविर आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश परिषद स्तर से वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ एवं आईटी प्रकोष्ठ द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।**
- चार मुख्य विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कराने वाले वरिष्ठ अध्यापकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण जिलेवार आवंटित लक्ष्य के अनुसार किया जावेगा।
- व्याख्याताओं के 5 दिवसीय संबंधित विषयों में आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आयोजित किये जावेंगे।
- वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के प्रशिक्षण प्राथमिकता से IASE/CTE तथा डाईट में आयोजित करवाये जावें।

6. लीडरशिप प्रशिक्षण

- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों का 16 दिवसीय आवासीय लीडरशिप प्रशिक्षण (न्यूपा मॉड्यूल आधारित) सीमेट, गोनेर द्वारा आयोजित की जायेगी।
- 16 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण में **वर्ष 2019–20 में नव पदोन्नत एवं गत वर्षो में शेष रहे उच्च माध्यमिक स्तर के संस्था प्रधानों** को प्राथमिकता देते हुए लीडरशिप प्रशिक्षण दिये जावे।
- लीडरशिप प्रशिक्षण पीएबी प्रावधान/राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार आयोजित किये जावे।
- प्रतिमाह सीमेट, गोनेर द्वारा लीडरशिप प्रशिक्षणों की प्रगति परिषद, जयपुर कार्यालय को प्रेषित की जावे।
- सीमेट, गोनेर द्वारा 100 संस्थाप्रधानों (HMs/Principals) का एक माह का आवासीय लीडरशिप प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा।

7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी समकक्ष प्रशिक्षण आमुखीकरण

- राज्य स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्तरीय प्रशिक्षणों का सीमेट, गोनेर, जयपुर द्वारा प्रबंधन किया जाएगा।

8. शिक्षक प्रशिक्षण में शिथिलन आधार

- गर्भवती शिक्षिका संभागियों को।
- ऐसी महिला शिक्षिकाएं जिनके शिशु की आयु 06 माह तक की हो।
- ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष या इससे कम समय शेष हो।
- ऐसे शिक्षक जो असाध्य रोग से पीड़ित हो यथा कैंसर, मस्तिष्क आघात (ब्रेन हेमरेज) चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर।
- ऐसी महिला शिक्षक जिनके बच्चे मानसिक रूप से विमन्दित एवं किसी असाध्य रोग से पीड़ित है यथा कैंसर, मस्तिष्क आघात (ब्रेन हेमरेज) चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर इन्हें रात्रि विश्राम से मुक्त रखा जावे।
- तीन वर्ष से छोटे बच्चों वाली महिला शिक्षिकाओं को सक्षम स्तर (जिला शिक्षा अधिकारी एवं उच्च अधिकारी) से अनुमति उपरान्त रात्रि विश्राम से छूट दी जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के शिथिलन हेतु प्राप्त आवेदनों पर समिति की अभिशंषा के आधार पर राज्य स्तर से ही प्रशिक्षण छूट दी जा सकेगी।
- वरिष्ठ अध्यापकों तथा व्याख्याता प्रशिक्षण में उपर्युक्त मापदण्डों के आधार पर छूट दिये गये कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक को नामांकित किया जाये, जिससे आवंटित लक्ष्य प्रभावित ना हो। छूट दिये गये कार्मिक एवं उनके स्थान पर नामांकित शिक्षक का विवरण परिषद/SCERT को भिजवाया जावे।
- शिक्षक प्रशिक्षण से शिथलन का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को अधिकृत किया जाता है। समिति की अभिशंषा एवं उचित दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात् ही कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जावे। इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा की होगी।

9. अन्य निर्देश

- प्रायः यह देखा गया है कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) में प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय को दर्शाने में अतिरिक्त परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा अन्य प्रशिक्षणों का खर्चा किसी एक ही प्रशिक्षण (उपमद) में कर दिया जाता है, जिससे प्रशिक्षण विशेष में कई बार वित्तीय लक्ष्य अधिक हो जाते है जबकि दूसरे प्रशिक्षण मे वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति नही हो पाती है। इस सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 2019–20 में जिलों को प्रदत्त वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप ही व्यय का समायोजन किया जावेगा।

वित्तीय समायोजन प्रगति–प्रपत्र					
क्र.सं.	शिक्षक प्रशिक्षण का नाम	भौतिक प्रगति		वित्तीयप्रगति	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
नोट : प्रत्येक प्रशिक्षण उपरान्त उक्त प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट एससीईआरटी, उदयपुर/परिषद, जयपुर के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में भिजवाना सुनिश्चित करें।					

- जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से अधिक समायोजन एवं प्रशिक्षण मानकों से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- प्रशिक्षणोपरान्त प्राप्त बजट के व्यय समायोजन पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षणों में समस्त व्यय लेखा नियमों के अनुसार किया जावें।
- शिविर में संभागियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित व्यय मानक स्वतः ही अनुपातिक रूप से परिवर्तित हो जावेगें।
- यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं मानदेय के अतिरिक्त अन्य मदों में सम्भावित व्यय राशि 10,000 रूपये से अधिक तथा रूपये 1,00,000 तक है तो लेखा नियमानुसार सीमित निविदा प्राप्त कर कार्य करवाया जाये।
- जिला स्तरीय प्रशिक्षणों में शिक्षकों, संदर्भ व्यक्तियों को दिया जाने वाला मानदेय अथवा यात्रा भत्ता आदि उनके बैंक खाते में ही प्रशिक्षण होने के 15 दिवस में जमा करवायेगे।

- किसी भी स्थिति में शिक्षक या संदर्भ व्यक्तियों को नकद भुगतान नहीं किया जावे।

10. जिला स्तरीय समिति –

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा – अध्यक्ष
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान
- जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.
- प्रधानाचार्य, डाईट
- सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण) – व्यवस्थापक
- कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण) – सहव्यवस्थापक
- संस्थाप्रधान (प्रशिक्षण आयोजक संस्था) – शिविर प्रभारी

11. समितियों के दायित्व

- जिला स्तर पर आयोजित होने वाले समस्त प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों की व्यवस्था, आयोजन तथा मॉनिटरिंग का समस्त दायित्व जिला स्तरीय समिति का होगा।
- जिला स्तरीय समिति दल बनाकर प्रशिक्षणों का सघन पर्यवेक्षण करेगी तथा प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणों की समीक्षा कर प्रतिवेदन तैयार करेगी।
- डाईट द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणों के लिये शिक्षकों एवं संदर्भ व्यक्तियों हेतु आदेश जारी कराना तथा प्रशिक्षण में अकादमिक सम्बलन, मॉनिटरिंग करते हुए प्रशिक्षण का प्रतिवेदन SCERT उदयपुर तथा परिषद मुख्यालय को भिजवाया जायेगा।
- ब्लॉक एवं जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण आयोजन की समस्त व्यवस्था, बजट उपलब्धता एवं प्रशिक्षणोपरान्त भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि की सूचना SCERT उदयपुर तथा परिषद मुख्यालय को भिजवाई जायेगी।
- जिला परियोजना कार्यालय एवं डाईट परस्पर समन्वयन से प्रशिक्षण का सफल संचालन करेंगे।

12. प्रशिक्षण पूर्व तैयारी

- मुख्य संदर्भ व्यक्तियों एवं शिक्षकों के आदेश प्रशिक्षणों के 10 दिवस पूर्व शिक्षकों तक पहुँचाना सुनिश्चित करवाएं
- प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की उपलब्धता एवं नियुक्ति आदेश सुनिश्चित किया जावे।
- प्रशिक्षण आदेश में प्रशिक्षणार्थियों को सम्बन्धित विषय की पाठ्य पुस्तकें साथ लेकर आने हेतु निर्देशित करें। प्रशिक्षण स्थल पर भी सम्बन्धित विषय की पाठ्य पुस्तकें एवं आवश्यक संदर्भपुस्तकें उपलब्ध करवाए।
- प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध आवास सुविधा, कक्षा–कक्षों की सुविधा, पेयजल की उपलब्धता सर्दी व आवासीयता को ध्यान में रखते हुए तत् सबन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- प्रशिक्षण हेतु समस्त भौतिक संसाधनों के साथ–साथ शैक्षिक तैयारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः प्रशिक्षण से पूर्व दिवस प्रशिक्षण स्थल पर संदर्भव्यक्तियों की एक दिवसीय बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करें। बैठक में संदर्भ व्यक्तियों के साथ शिविर प्रभारी, APC/PO व संबधित RP आवश्यक रूप से मौजूद रहें।
- मॉड्यूल की उपलब्धता, पंजीकरण प्रपत्र, फीडबैक प्रपत्र, प्रशिक्षण के दौरान परख पत्रों की प्रतियां तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- मॉड्यूल कार्यक्रमानुसार सत्रों की पूर्ण संरचना तैयार कर ली जाए तथा संदर्भव्यक्तियों को रूचि व क्षमता के आधार पर अन्य कार्य आवंटित कर दिया जाए।
- वरिष्ठ अध्यापकों के प्रशिक्षणों हेतु आईसीटी लैब/कम्प्यूटर लैब की उपलब्धता प्रशिक्षण स्थल पर आवश्यक रूप से हो, इसे सुनिश्चित करें।

12.1 प्रशिक्षण के दौरान

- प्रशिक्षण में शामिल महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्धित आलेखों व सामग्री की फोटो प्रति भी प्रशिक्षणार्थियों को देने की व्यवस्था की जावे।
- प्रशिक्षण के दौरान संभागियों द्वारा तैयार की गई सामग्री का प्रदर्शन प्रशिक्षण स्थल पर किया जावे।
- प्रशिक्षण के दौरान संभागियों को अभिव्यक्ति संवर्धन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जायें।

- प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्री टेस्ट आवश्यक रूप से आयोजित किया जावे एवं उसका मूल्यांकन एवं विश्लेषण कर आवश्यकता अनुरूप विषयवस्तु को प्रशिक्षण में स्थान दिया जावे।
- प्रशिक्षण के आयोजन में सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा स्थानीय स्तर से पूर्व एवं पश्च परख तैयार कर संभागियों से प्रशिक्षण की समाप्ति पर संभागियों द्वारा फीडबैक लिया जाकर आगामी प्रशिक्षणों हेतु सम्मलित किये जाने वाले नीड बेस्ड विषयवस्तु की सूची तैयार की जावे।
- प्रशिक्षण के अन्तिम दिन पोस्ट टेस्ट का आयोजन एवं उसका अंकन करवाया जाये तथा प्रतिवेदन प्रेषित करें।
- प्रशिक्षण की समस्त व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान का होगा।
- प्रशिक्षण में प्रतिदिन सभी मुख्य संदर्भ व्यक्ति, शिविर प्रभारी तथा कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण की समीक्षा एवं आगामी दिवस की योजना हेतु कोर ग्रुप आयोजित की जावे। प्रशिक्षण के प्रत्येक दिवस सांय को कोर समुह की बैठक आयोजित कर प्रशिक्षण सत्र की समीक्षा तथा आगामी दिवस की कार्ययोजना तैयार की जायेगी, जिससे दक्ष प्रशिक्षक के साथ डाइट/समसा प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित आर.पी. आवश्यक रूप से शामिल हो ताकि प्रतिदिन की समस्या का समाधान किया जा सके।
- वरिष्ठ अध्यापकों के प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध पुस्तकालय, आई.सी.टी. लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, का समुचित उपयोग प्रशिक्षण में करवाना सुनिश्चित करें।

12.2 संभागियों की उपस्थिति –

- संभागियों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
- प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में समय पर उपस्थित हो एवं उनकी पूर्णकालिक उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर प्रभारी नियुक्त करते हुए संभागियो की उपस्थिति रजिस्टर में भी नियमित संधारण की जाए।

दैनिक उपस्थिति प्रपत्र (वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता)

जिला ..... एमटी / शिक्षक प्रशिक्षण दिनांक .....

क्र.सं.	आयोजक जिला	संभागी जिला	प्रशिक्षण स्थल	विषय	आमंत्रित संभागी	उपस्थित संभागी

- प्रशिक्षणों मे अनुपस्थित कार्मिकों के कारण बताओ नोटिस जारी किये जावें एवं प्रत्युत्तर का सक्षम अधिकारी द्वारा गहन मनन व परीक्षण किया जाकर, अग्रिम कार्यवाही की जावे, जिनके प्रकरण निरस्त योग्य/अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, उनकी सूचना एससीईआरटी, उदयपुर एवं परिषद, जयपुर स्थित प्रशिक्षण शाखा को उपलब्ध करावें।

12.3 शिविर प्रभारी की भूमिका

- प्रशिक्षण स्थल से सम्बन्धित संस्था प्रधान शिविर प्रभारी की भूमिका में रहेंगे।
- प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य प्रशिक्षण के 1 दिन पूर्व तैयारी बैठक में सम्मिलित हों।
- संस्थान में उपलब्ध संसाधन (कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला) का उपयोग सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण स्थल पर साफ–सफाई, पानी, फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
- रूचि व सामर्थ्य के अनुसार शैक्षिक सत्रों में सहभागिता करें।
- प्रशिक्षण अभिलेख संधारण में निर्देशानुसार कार्य करवायें।

12.4 अभिलेख संधारण

- संभागियों का पंजीकरण, फीडबैक।
- संदर्भ व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षणोपरान्त फीडबैक।
- संभागियों एवं मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का उपस्थिति पत्रक, जिसमें शिक्षक के मोबाइल नं. भी अंकित किये जायें।
- संभागियों का विषयवार परख पत्रों एवं उपलब्धि पत्रक मय विश्लेषण।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की फोटोग्राफी की व्यवस्था की जावे।

- प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् रिपोर्ट तैयार कर SCERT, Udaipur एवं परिषद कार्यालय, जयपुर को प्रेषित करवायें।

12.5 नियंत्रण कक्ष की स्थापना –

- प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं के आदान–प्रदान, मॉनिटरिंग एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तर पर डाईट एवं जिला परियोजना समन्वयक समसा कार्यालय में प्रशिक्षण अवधि में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावे। नियंत्रण कक्ष पर नियमित रूप से प्रभारी की नियुक्ति की जावें। जो प्रशिक्षणवार सूचनायें समेकित कर एससीईआरटी, उदयपुर की ई–मेल एवं परिषद स्थित प्रशिक्षण शाखा की ई–मेल **rajsmsa.training@gmail.com** पर अनिवार्यतः उसी दिन भेजेंगे।
- पर्यवेक्षण दल द्वारा प्रतिदिन का अवलोकन प्रतिवेदन जिले से एससीईआरटी, उदयपुर एवं परिषद कार्यालय नियंत्रक कक्ष में प्रेषित किया जावे।
- प्रशिक्षण की प्रतिदिन संभागियों की संख्या विषयवार निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय समसा परिषद् कार्यालय एवं एससीईआरटी, उदयपुर के नियन्त्रण कक्ष में प्रेषित की जावें।

(डा.नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय/प्रशिक्षण/दिशा–निर्देश/5354 दिनांक 2/9/19

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर।
7. निदेशक, सीमेट, गोनेर जयपुर।
8. उपायुक्त, वैकल्पिक शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. उपायुक्त, आई.टी. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
12. प्राचार्य, समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs)।
13. प्राचार्य, समस्त सी.टी.ई/आई.ए.ए.एस.ई.।
14. कार्यालय प्रति।

(एम.आर.बागड़िया)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–।